



**कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय
नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302005
(सूचना का अधिकार शाखा)**

फा. सं. V(Tech)RTI/40/2019/ 2231

दिनांक: 18.06.2019

सेवा में,

श्री धारेन कुमार पांडे,
टी-1, टीट्स अपार्टमेंट्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
के ए.टी.एम. के ऊपर, गोपालपुर, आसनसोल,
पश्चिम बंगाल-713304

विषय: - सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही सूचना के क्रम में।

महोदय,

कृपया आपके सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किये आवेदन दिनांक 11.03.2019(केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर को दिनांक 22.05.2019 को बिंदु संख्या 9 के संदर्भ में स्थानान्तरित किया गया) का अवलोकन करें।

आपके आवेदन के बिंदु संख्या 9 के संदर्भ में लेख है की इस प्रकार की कोई भी जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है | अतः जानकारी शून्य समझी जाये |

"यदि सूचना लेने वाले व्यक्ति को सूचना से असंतुष्टि है तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, श्री बृज लाल मीना, संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, नव राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 को इस निर्णय की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं"।

भवदीय,

— sd —

सहायक आयुक्त/ के. लो. सू. अधिकारी,
केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,
जयपुर।

प्रतिलिपि:

1. वेब मास्टर/अपर आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर को जोनल वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

प्राप्त
दिनांक 18/6/19
सहायक लोक सूचना अधिकारी,
केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय
Central Goods & Services Tax Commissioner
जयपुर/Jaipur